

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

संलग्नक दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय आग-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्नेली कार्यालय ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्ली/राज्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तत्पश्चात् प्राथमिक शिक्षा परिषद, 10000 संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 10000 संलग्नक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/सदस्यत्व/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदीं पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के बाद-20 में दिल्ली/राज्य इन्डिया सहयोग संघालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर विनियम निर्णय लिया गया -

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिसके द्वारा संस्था के नाम में परिवर्तन किये जाने का आवेदन किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि इन संस्थाओं को स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाये कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा संस्था का नाम परिवर्तन किया जा रहा है, तत्पश्चात् एम्पाई/सी/टी/आई/टी द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्गत किये गये अनुमोदन पत्र में अखिल संस्था के नाम के अनुसार परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आहत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 10000 संलग्नक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन सदस्यत्व एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	सदस्यत्व का नाम	एम्पाई/सी/टी/आई/टी द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	एम्पाई/सी/टी/आई/टी/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	6442	डॉ. रामचंद्र शीघरी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सिद्धार्थनगर।	टीकरीय विद्यापीठ राष्ट्रीय इन्फो टेक संस्थान टीकरीय विद्यापीठ सम्पूर्ण एम्पाई/सी/टी/आई/टी टीकरीय विद्यापीठ इन इंजीनियरिंग संयोजक इन्फो संवर्धन संस्थान शिविर इन्फो इंजीनियरिंग इन्फो इंजीनियरिंग इन्फो एडुटेक इन्फो	80 80 80 80 120 80 80 120	80 80 80 80 120 80 80 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्पाई/सी/टी/आई/टी/पी/सी/आई/टी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट-1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली-1982, सीमेटर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्नेली पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्नेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। वर्षोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तविक प्रमाणी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था की 10000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।



आज्ञापन

उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- उत्तरिप/परिषद्/सम्बद्धता/2021/5837

संलग्नक दिनांक 06/06/2021

आज्ञापित बातें:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/बार्मेरी कन्वेंशनल और इम्पियर, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशी भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदानकर प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्वोपरि विचार किये हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4443-DR DASHRATH CHAUDHARY NATIONAL POLYTECHNIC, BANSI, SIDDARTHA NAGAR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
5	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जलाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

